वैश्विक सूचना समाज पर एक नजर 2014

डिजिटल युग में संचार सर्वेलांस

यह रिपोर्ट मूल रूप से एक वृहद रिपोर्ट का हिस्सा था जिसे कि GISWatch.org से डाउनलोड किया जा सकता है

एसोशियेशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्यूनिकेशनस् (एपीसी)
व ह्यूमिनिशट इंस्टिच्यूट फॉर कोऔपेरेशन विद डेवेलपिंग कंट्रिज (हिवोस)

ISBN: 978-92-95102-16-3
APC-201408-CIPP-R-EN-DIGITAL-207

Creative Commons Attribution 3.0 Licence <creativecommons.org/licenses/by nc nd/3.0>

INDIA

भारत में सूचना संचार सर्वेक्षण, मानवाधिकार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

Digital Empowerment Foundation (DEF)
Ritu Srivastava
www.defindia.org

परिचय

इंटरनेट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक प्रमुख टूल है। इससे न सिर्फ हमें सूचना, ज्ञान, विचार व मतों को पाने का अधिकार मिलता है वरन् यह उनको व्यक्त करने की आजादी भी देता है - चाहे वह वीडियो, ऑडियो या लेख की शक्ल में हो। प्रकाशन तथा संचार के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर, लाखों लोग इससे आसानी से बातचीत कर सकते हैं, इससे साधारण नागरिकों को लाखों लोगों के बीच एक आवाज मिलती है तथा यह सूचना के एक भंडार के रूप में काम करता है। एक परिभाषा के अनुसार, इंटरनेट आदमी की सोच के जितना व्यापक है।

जैसे इंटरनेट ज्यादा व्यापक हो रहा है वैसे वैसे प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर सूचना महत्वपूर्ण होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अभिव्यक्ति या मतों की स्वतंत्रता के अधिकार के विशेष रैपोटियर फ्रैंक ला रू ने इंटरनेट के खास व परिवर्तनकारी विशेषता के बारे में मानवाधिकार आयोग को सौंपे अपने रिपोर्ट में कहा है कि इंटरनेट न सिर्फ विचारों व मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है वरन् मानवाधिकारों तथा समाज के विकास को भी बढ़ावा देता है। यह सिद्ध हो चुका है कि तकनीक का विकास से प्रजातंत्रों में सभी को सूचना तक पहुँच मिला है। लेकिन, इंटेलिजेंस एजेंसियों के द्वारा डाटा माइनिंग से कानूनी सर्वेक्षण तथा सरकारों के द्वारा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानबूझ कर किये जाने वाले सर्वेक्षण से यह रेखा धुँधली हो रही है।

ला रू ने इस पर भी बल दिया कि कैसे सरकार व कॉरपोरेट सर्वेलेंस अभिव्यक्ति की आजादी में बाधा पहुँचा रहे हैं। उनका रिपोर्ट कहता हैः "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संचार में प्राईवेसी (गुप्तता) के बिना संभव नहीं है। प्राईवेसी व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ी है वएक दूसरे पर आश्रित है संचार में प्राईवेसी के बिना, एक की बाधा कारण भी हो सकती है और परिणाम भी।" उनकी रिपोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी व संचार में गुप्तता के संबंध को जोड़ दिया तथा विभिन्न सरकारों के द्वारा सर्वेलांस के तरीकों के व्यापक उपयोग को प्रकाश में लाया जो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं जैसे कि निजता का उल्लंघन व बोलने की आजादी का उल्लंघन। इसमें यह भी लिखा है कि प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है तथा प्रजातंत्र में मानव सम्मान को बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा, निजता का अधिकार दूसरे अधिकारों पर भी बल देता है जैसे बोलने व सूचना की आजादी, साथ रहने की आजादी जो कि मानव अधिकारों के अंतर्गत आता है। किन्तु, यह मुश्किल है तय करना कि निजता के अधिकार में क्या होता है। प्राईवेसी को दो पहलूओं से देखा जा सकता है - यह इस पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन की किस तरह की सूचना शेयर करते हैं, किसको हम निजी रखना चाहते हैं तथा क्या वह सूचना लोगों के हित में है।

विश्व भर की सरकारें वृहत सर्वेलांस प्रोग्राम को उचित ठहराती हैं, जो कि कानून तोड़ने की सीमा में होता है लेकिन उसे वो राष्ट्रीय मुद्दा बताकर उचित ठहराते हैं। जहाँ तक बात है भारत विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है तथा कानून व संविधान के अनुसार यह कहता है कि वो बोलने की आजादी की रक्षा कर रहा है, ऑनलाइन दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दिनोंदिन लगाम लग रहा है। इन पाबंदियों के लिए जो तर्क दिये जा रहे हैं वो डिफेमेशन की समस्या की जड़ हैं तथा उनको बरकरार रखना राष्ट्रीय सुरक्षा व समाज में शांति के लिए आवश्यक है।

यह स्पष्ट तब हुआ जब भारत सरकार मे 2009 में केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएस), देश में टेलिकॉम पर नजर रखने वाला एक प्रोग्राम, को शुरू करने की घोषणा की। 2013 में, सूचना संचार तकनीक राज्य मंत्री मिलिंद देवरा ने सीएमएस को पूरे देश में शुरू करने की घोषणा की। यह रिपोर्ट इस बात को अनुसंधान करता है कि सरकारी सर्वेलांस भारत में कैसे काम करता है तथा कैसे सरकार व प्राईवेट संगठन लोगों के ऑनलाइन डाटा तक पहुँच रहे हैं जो कि आजादी की अभिव्यक्ति के लिए खतरा है।

1 ACLU v. Reno, 929 F. Supp. 824, 830-849 (ED Pa. 1996) at 842 (District Court Opinion)

2 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, 17 April 2013. www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf

3 Ibid.

4 Universal Declaration of Human Rights, Article 12; United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All *Migrant Workers* and Members of Their Families, Article 14.

भारत में सर्वेलांस के नियम कानून

संचार सर्वेलांस शब्द में मॉनिटरिंग, हस्तक्षेप, जमा करना, विश्लेषण, उपयोग, संरक्षण, रोक कर रखना, उसके साथ खिलवाड़ करना या सूचना तक पहुँच जो कि लोगों के पूर्व में, वर्तमान या भविष्य में हुए संचार के बारे में है। अब जबकि ज्यादा से ज्यादा लोग वेब का उपयोग कर रहे हैं, भारत में 2014 में इंटरनेट का यूजर बेस 243 मिलियन हो गया है। इस माध्यम से न कि उपयोगकर्ताओं को सूचना के आदान-प्रदान व सेवाओं की सहूलियत देता है वरन् राजनीतिक बातचीत को भी आसान बनाता है। फेसबुक तथा ट्विटर व ब्लॉग लोगों को बात करने की तथा एक बड़े ऑडियेंस तक पहुँचने की सहूलियत प्रदान करते हैं। प्रिज्म, अमेरिकी सर्वेलांस प्रोग्राम के विपरीत, जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खिंचा था जब से एडवर्ड स्नोडेन ने विश्व भर की स्पाईंग की जानकारी लीक कर गार्डियन व वाशिंगटन पोस्ट को दी थी, भारत ने चूपके से 2013 में सीएमएस शुरू किया था ताकि आंतरिक सूचनाओं को मॉनिटर किया जा सके। इस सिस्टम में 75 मिलियन डॉलर का खर्च आया तथा इससे सरकार को सभी डिजिटल संचार व टेलिकॉम्यूनिकेशनस के मॉनिटर करने का मौका मिलेगा।

स्वतंत्रता के समय से ही, भारत के कानून के द्वारा सूचना के गैर-कानूनी रोक टोक पर प्रतिबंध है। उदाहरण के लिए, भारतीय पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के सेक्शन 26 के अनुसार सूचना के रोक टोक की इजाजत देता है लेकिन सिर्फ पब्लिक की भलाई के लिए। इस सेक्शन के अनुसार, यह नियम किसी इमरजेंसी में, किसी पब्लिक की सुरक्षा या शांति बहाली के लिए लगाया जा सकता है।

यह सेक्शन कहता है कि राज्य या केंद्रीय सरकार से एक सर्टिफिकेट की जरूरत है जो यह दर्शायेगी कि कोई पब्लिक इमरजेंसी की स्थिति है या यह दर्शायेगी कि इंटरसेप्शन लोगों की भलाई या शांति के लिए है। इसी प्रकार, टेलिग्राफ एक्ट 1885 का सेक्शन 5 (2) भी कहता है कि (1) सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में या लोगों की सुरक्षा के लिए है (2) अगर ऐसा करना भारत की एकता व संप्रभुता के लिए, दूसरे मित्र देशों के साथ संबंध, या शांति के लिए याकिसी घटना के भड़काने के लिए ऐसा आवश्यक हो।

हुकूम चंद श्याम लाल बनाम भारत सरकार व अन्य केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने पब्लिक इमरजेंसी को परिभाषित किया। कोर्ट ने पब्लिक इमरजेंसी को एक आर्थिक इमरजेंसी के रूप में देखा तथा इस सेक्शन के अंतर्गत सर्वेलांस को सही ठहराया जब तक कि इस सेक्शन के अंदर दिये गये बातों को यह नहीं उठाता। कोर्ट ने एक दूसरा शब्द पब्लिक सेफ्टी पर गौर किया तथा उसको पब्लिक की सुरक्षा या खतरा से रक्षा के रूप में देखा।

इंफोरमेशन टेक्नॉलॉजी एक्ट 2000 के दो अलग-अलग सेक्शन सूचना के इंटरसेप्शन व मॉनिटरिंग से संबंधित हैं। सेक्शन 69 कहता है निर्देश देने की ताकत ताकि रोकटोक व मॉनिटरिंग हो सके या कम्प्यूटर के माध्यम से किसी भी सूचना का डिक्रिप्शन।

सेक्शन 69 बी का ताल्लुक है - किसी भी कम्प्यूटर में रखे डाटा को प्रसारित करना, पाना या सहेज कर रखना। यह मॉनिटरिंग साईबर सिक्यूरिटी उदेश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ट्रैफिक डाटा को सेक्शन 69बी में इस तरह परिभाषित किया - कोई भी डाटा जिससे किसी भी आदमी की पहचान हो सके, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क या किसी भी स्थान जहाँ से कोई सूचना प्राप्त की जा सकती है।

सर्वेलांस सिर्फ व्यक्तिगत मॉनीटरिंग के लिए सीमित नहीं है। सूचना तकनीक एक्ट सेक्शन 67सी बीच बचाव वाले लोगों के बारे में है तथा इसमें आवश्यक है कि कुछ सूचना जो उनके नियंत्रण में है उसे कम से कम तीन महीने सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं करने से तीन साल की सजा या सेक्शन 67 सी (2) के अंतर्गत दण्ड मिल सकता है।

सूचना तकनीक एक्ट सेक्शन 79 बीचबचाव करने वाले को थर्ड पार्टी कंटेंट जो कि उनके द्वारा होस्ट किया जाता है से बचाता है। किन्तु, 2011 में सूचना व तकनीक मंत्रालय ने इस एक्ट के अंतर्गत नियम के दो सेट और जारी किये हैं। किन्तु, 2011 में सूचना व तकनीक मंत्रालय ने इस एक्ट के अंतर्गत नियम के दो सेट और जारी किये हैं - पहला बीच में पड़ने वाले जैसे इंटरनेट सेवाएँ देने वाले (सर्विस प्रोभाइडरस्) व वेब प्लेटफॉर्म तथा दूसरा साइबरकैफे पर नजर रखने के लिए। ये दोनों नियम

5 Times of India. (2014, January 29). India to have 243 million internet users by June 2014: IAMAI. *Times of India*. timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/India-to-have-243-million-internet-users-by-June-2014-IAMAI/articleshow/29563698.cms

6 The Indian Post Office Act, 1898. www.indiapost.gov.in/Pdf/Manuals/TheIndianPostOfficeAct1898.pdf

7 The Indian Telegraph Act, 1885. http://www.ijlt.in/pdffiles/Indian-Telegraph-Act-1885.pdf

8 AIR 1976 SC 789, 1976 SCR (2)1060, (1976) 2 SCC 128.

9 Section 69 of the Information Technology Act. www.chmag.in/article/jan2012/powers-government-under-information-technology-act-2000

10 The Monitoring Rules list 10 ¨cyber security" concerns for which monitoring may be ordered: (a) forecasting of imminent cyber incidents; (b) monitoring network application with traffic data or information on computer resources; (c) identification and determination of viruses/computer contaminants; (d) tracking cyber security breaches or cyber security incidents; (e) tracking computer resources breaching cyber security or spreading viruses/computer contaminants; (f) identifying or tracking of any person who has contravened, or is suspected of having contravened or being likely to contravene cyber security; (g) undertaking forensic investigation of the concerned computer resource as a part of an investigation or internal audit of information security practices in the computer resource; (h) accessing stored information for enforcement of any provisions of the laws relating to cyber security in force at the time; (i) any other matter relating to cyber security.

11 sflc.in/information-technology-act-and-rules-time-to-change

नागरिकों के बोलने की आजादी व उनकी प्राईवेसी को कम करते करते हैं।

भारत जो कि वीडियो सर्वेलांस का एक सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है, इस संदर्भ में 2013 के अंतिम तिमाही में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्री दर्ज की। नई दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3,700 आईपी सर्वेलांस कैमरे लगाये गये हैं जो कि भारत में कहीं भी आईपी वीडियो सिस्टम का सबसे बड़ा जमावड़ा है। सरकार व प्राईवेट क्षेत्र दोनों ने उत्साहपूर्वक सीसीटीवी तकनीक को अपनाया है, जिसमें नगरपालिकाओं, पुलिस विभाग, एयरपोर्ट, बैंक, स्कूल व सुपरमार्केट सभी शामिल हैं। इस तथ्य के बाबजूद कि सीसीटीवी कैमरे को आतंकवाद व अपराध को रोकने के लिए लगाया गया था, कोई भी कानून नहीं है जो उनके स्थापना या उपयोग को देखता हो। सबसे नजदीक कानून इलेक्ट्रॉनिक अश्लीलता को रोकने वाला है जो कि सूचना तकनीक एक्ट के सेक्शन 66ई में आता है जिसमें किसी निजी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ उसकी तस्वीर को कैमरे में कैद करना, उसका प्रकाशन व प्रसारण या उस व्यक्ति कि निजता का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में शामिल है। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद या दो लाख रूपये (करीब 3 हजार डॉलर) तक का दण्ड शामिल है।

इसके अलावा, 2011 में सरकार ने साइबरकैफे में सर्वेलांस को विस्तृत कर दिया, जो कि ग्रामीण भारत में इंटरनेट तक पहुँचने का प्रमुख जरिया हैं। उपयोगकर्ताओं को अपना परिचयपत्र देना पड़ता है ताकि वो साईबरकैफे में सर्फ कर सकें। इस तरह की यूजर डाटा को मांगना संदेहादस्पद जब कि इसका उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने तथा राजनीतिक विरोध के लिए किया जाता है। भारत इसके साथ-साथ वेबसाइट को बंद करने में तथा उपयोगकर्ताओं के डाटा को मांगने का सबसे बड़ा दोषियों में से एक है। गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट दर्शाता है कि उपयोगकर्ताओं का डाटा मांगने में यह अमेरिका के बाद सबसे बड़ा दोषी है।

2012 के अंत में, भारत की अधिकांश कंपनियों ने सरकार को देश के 10 लाख ब्लैकबेरी उपयोगकर्ताओं तक रियल टाईम में पहुँचने की इजाजत दे दी। सरकार लगातार प्रमुख वेब कंपनियों को अपने सर्वर भारत में लगाने का आग्रह कर रही है ताकि स्थानीय संचार पर नजर रखी जा सके।

विश्व भर की सरकारें वृहत सर्वेलांस प्रोग्राम को उचित ठहराती हैं, जो कि कानून तोड़ने की सीमा में होता है लेकिन उसे वो राष्ट्रीय मुद्दा बताकर उचित ठहराते हैं। जहाँ तक बात है भारत विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है तथा कानून व संविधान के अनुसार यह कहता है कि वो बोलने की आजादी की रक्षा कर रहा है, ऑनलाइन दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दिनोंदिन लगाम लग रहा है। इन पाबंदियों के लिए जो तर्क दिये जा रहे हैं वो डिफेमेशन की समस्या की जड़ हैं तथा उनको बरकरार रखना राष्ट्रीय सुरक्षा व समाज में शांति के लिए आवश्यक है।

यह स्पष्ट तब हुआ जब भारत सरकार मे 2009 में केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएस), देश में टेलिकॉम पर नजर रखने वाला एक प्रोग्राम, को शुरू करने की घोषणा की। 2013 में, सूचना संचार तकनीक राज्य मंत्री मिलिंद देवरा ने सीएमएस को पूरे देश में शुरू करने की घोषणा की। यह रिपोर्ट इस बात को अनुसंधान करता है कि सरकारी सर्वेलांस भारत में कैसे काम करता है तथा कैसे सरकार व प्राईवेट संगठन लोगों के ऑनलाइन डाटा तक पहुँच रहे हैं जो कि आजादी की अभिव्यक्ति के लिए खतरा है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संचार सर्वेलांस

भारत का संविधान इसके आर्टिकिल 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आजादी देता है। किन्तु, आर्टिकिल 19(2) अभिव्यक्ति की आजादी को रोकता है। आर्टिकिल 19(2) किसी भी देश के हित में व एकता के हित में, देश की सुरक्षा, दूसरे मित्र देशों के साथ संबंध, शांति, सभ्यता या नैतिकता को बरकरार रखने के लिए या किसी कोर्ट की अवहेलना के खिलाफ, बदनामी या किसी अपराध के संबंध में लागू किया जा सकता है।

संविधान निजता की पूरी आजादी नहीं देता है। किन्तु, भारत का सुप्रीम कोर्ट आर्टिकिल 21 में निजता को परिभाषित किया है - जीवन व आजादी का अधिकार। यह कहता है - किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा जब तक की कानून का उल्लंघन ना हो। मूल बात है कि अभिव्यक्ति की आजादी तथा निजता का अधिकार इन दोनों में संतुलन कैसे रखा जाये।

पिछले कुछ सालों से, एक समग्र प्राईवेसी बिल की बात चल रही है, यद्यपि कि इसे भारत सरकार के द्वारा अपनाया नहीं गया है। एक ड्राफ्ट जो कि 19 अप्रैल, 2011 का बना है तथा जिसका शीर्षक है "थर्ड वर्किंग ड्राफ्ट (विश्लेषण व सुधार के लिए) लेजिसलेटिव डिपार्टमेंट" वो पहले लीक हो गया था लेकिन अब मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध है। यह ड्रफ्ट प्राईवेसी अधिकारों को सहयोग करता है तथा निजता के अधिकार में जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं जिसका नाम डाटा प्रोटेकशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (डीपीएआई) है। प्राईवेसी कानून व सेफगार्ड के बिना, इस तरह के डाटा को आसानी से गलत समझा जा सकता है तथा इससे भारतवासियों की (फ्री-

12 www.indigovision.com/documents/public/project-briefs/Project-Brief-Delhi%20Airport-UK.pdf

13 www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/IN

14 Gallagher, R. (2013, February 22). India's spies want data en every BlackBerry customer worldwide. *Slate*. www.slate.com/blogs/future_tense/2013/02/22/india_wants_data_on_every_blackberry_customer_worldwide.html

15 The Constitution of India, Article 19 (2).

16 www.legalserviceindia.com/articles/art222.htm

17 Available at: bourgeoisinspirations.files.wordpress.com/2010/03/draft_right-to-privacy.pdf

स्पीच) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गहरा धक्का लग सकता है। अधिकांश भारत के संसद के सदस्यों को एक कानूनी ढ़ांचे की जरूरत महसूस करते हैं। 2011 में, संसद ने डाटा सुरक्षा कानून पास किया, लेकिन अभी भी भारत में कोई प्राईवेसी कानून नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा साथ रहने की स्वतंत्रता की भांति, प्राईवेसी एक मौलिक मानव अधिकार है तथा यह मानव सम्मान को दर्शाता है।

आगे की डगर

भारत के लिए निम्न काम किये जा सकते हैं व कदम उठाये जा सकते हैः

- निजता का अधिकार व प्राईवेसी की जानबूझ कर छेड़छाड़ का एक बेहतर तरीके से पता लगाया जा सके। इसके अलावा भारत में व्यापक स्तर पर सर्वेलांस व बेमतलब की डिजिटल खलल के मुद्दे को देखने की जरूरत है। ये दोनों स्वयं की सेंसरशिप करने की व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा के लिए जरूरी हैं।

- संचार सर्वेलांस एक बहुत ही रोकटोक वाला कानून है जो कि अभिव्यक्ति व मत की स्वतंत्रता में बाधक है जो कि जनतांत्रिक समाज के लिए एक खतरा है।

- सूचना तकनीक एक्ट 66ए तथा 79 जो कि कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया के बारे में हैं, में सुधार लाया जाये ताकि कंटेंट के लेखक को कंटेंट हटाने से पहले सूचित किया जा सके तथा उनको सेंसरशिप से पहले अपील करने का मौका मिल सके।

- हटाने की प्रक्रिया में रद्दोबदल किया जाये ताकि लोकहित में मतों की अभिव्यक्ति या ऑनलाइन कंटेंट की मांग में फर्क ना पड़े। यह आवश्यक है ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में खलल ना पड़े।

- इंटरनेट को सरकारों के द्वारा नई तकनीक के इस्तेमाल से नियंत्रित करना या वर्तमान आजादियों के छीनना का एक बहाना नहीं होना चाहिए। यद्यपि कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है, जिन परिस्थितियों में यह हो सकता है उसमें हम थोड़ा सा फेर-बदल कर सकते हैं। जब इंटरनेट पर या किसी अन्य फोरम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है तो ऐसा ही होता है।

- भारत जैसे देश में जहाँ 243 मीलियन (24 करोड़ 30 लाख) लोग मोबाइल से इंटरनेट तक पहुँचते हैं, एक रिफॉर्म नीति की आवश्यकता है ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नीति बनायी जा सके। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट तक पहुँच तथा लोकल कंटेंट का विकास करने की भी आवश्यकता है।

- सर्विस प्रदाता या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रदान करने वाले को भी अपने सिस्टम में सर्वेलांस या पीछे या किसी अन्य रास्ते बनाने को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए या कोई ऐसा डाटा या सूचना सिर्फ देश के सर्वेलांस के लिए नहीं इक्कठा करना चाहिए।

- अंत में, निजता का अधिकार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि एक दूसरे से जुड़े हैं तथा जिसको भारतीय नियम, पॉलिसी या कानून में ठीक से नहीं उठाया गया है। उदाहरण के लिए, व्यक्तियों द्वारा (मीडिया नहीं) फोटो खिंचना को देखा नहीं गया है तथा इसी प्रकार व्यक्तियों को बिना अपना नाम बताये कमेंट करने का अधिकार या फिर किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन भूल जाने का अधिकार। अभिव्यक्ति की आजादी व निजता एक दूसरे से कई तरीके से सपोर्ट या सहयोग करते हैं, इसी प्रकार कोई मत या विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना तथा भूले जाने का अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी तथा साथ रहने की आजादी को ठीक से समझने की जरूरत है। ये सब बातें कई देशों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है।

यह सही समय है कि भारत सरकार निजता के अधिकार व सुरक्षा पर ध्यान दे तथा प्राईवेसी से छेड़छाड़ ना करे। मास सर्वेलांस व अनावश्यक डिजिटल छेड़छाड़ एक आवश्यक व महत्वपूर्ण कदम है सेल्फ सेंसरशिप के लिए तथा इससे अपने आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।

Networking for freedom online and offline

protecting freedom of information, expression and association on the internet in India, Malaysia and Pakistan in India.

internet RIGHTS

Internet for Social Empowerment & Sustainable Development

APPROACH

- Build awareness and provide knowledge tools
- Capacity Building
- Networking and support for advocacy
- Advancing Internet Freedoms

PROJECT PARTNERS

European Union

APC

INDIA PARTNER: DEF Digital Empowerment Foundation

SUPPORT US ON

www.facebook.com/InternetRights

twitter.com/DEF_IR